जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 30.01.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा वारण्टी नाम पता 1.सुरेन्द्र सिंह पुत्र शिवपल्टन सिंह साकिन कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 सभाशंकर पाण्डेय, का0 बलराम यादव ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6004 द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6004 थाना महुली क्षेत्रांतर्गत अम्मादेई में दो बाईक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (मनीष माझी पुत्र रामचेत निवासी अम्मादेई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पी0आर0वी0 की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी0 नाथनगर लाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल को ईलाज हेतु सीएचसी0 नाथनगर लाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 आशीष गौंड,आ0 शनि गुप्ता, हो0चा0 दिनेश चन्द।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 70,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 70,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 30.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 650 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 30.01.2025 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2001 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम अभियुक्त जमील अहमद पुत्र ऐनुल्लाह निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में आदेश दिया गया कि अभि0 जमील अहमद पुत्र ऐनुल्लाह को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 500रु0 के अर्थदण्ड व 5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 150 रु0 के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस के कारावास की सजा दी जाती है।